फॉर्म क्र..................

निविदा पत्रक (मूल्य रू. 500/–)

म.प्र. जन अभियान परिषद्

(प्रपत्र–1 वाहन निविदा फॉर्म)

---

1. संस्था/फर्म का नाम :..

2. संस्था/फर्म का पूरा पता :..

   (फोन/फैक्स नम्बर सहित) :..

3. सम्पर्क व्यक्ति का नाम :..

   मोबाईल नं. :..

4. संस्था/फर्म का

   - पंजीयन क्र..
   - टिन नं..
   - पेन नं.:..

(पेन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति सहित)

5. संस्था/फर्म कितने वर्षो से संचालित है :..

6. संस्था/फर्म ने यदि म.प्र. शासन के :..

   अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में वाहन :..

   संलग्न किये है। जानकारी अंकित करें। :..

(आवेदक के हस्ताक्षर)

म.प्र. जन अभियान परिषद्

(अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. शासन भोपाल)

वाहन निविदा शर्तेः–

म.प्र. जन अभियानं परिषद् को शासकीय कार्य/कार्यशालाओं/बैंठक एवं बाहर से आये अधिकारियों/अतिथियों के स्थानीय एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु किराये के वाहनों की दैनिक/मासिक दर पर आवश्कता है। इस हेतु पेट्रोल/डीजल के वाहन किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर उपलब्ध करें।

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए शर्ते ।

1. इच्छुक निविदादाताओं के पास कम से कम 10 वाहन स्वयं अथवा फर्म के नाम पर पंजीकृत होना या वाहन मालिक के साथ अनुबंधित होना एवं फर्म का वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख या उससे अधिक होना अनिवार्य है। फर्म/संस्था अधिकृत सेवाकर हेतु पंजीकृत हो फर्म मालिक के नाम से पंजीकृत/ अनुबंधित वाहनो की छायाप्रिति निविदा के साथ लगायी जाना भी अनिवार्य होगा।
2. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल जनवरी 2012 से अधिक पुराना न हो और वाहन टेक्सी कोटे के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो ।
3. किराये की अवधि में वाहन में पेट्रोल/डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी एवं वाहन के संधारण सहित टूट–फूट, बैटरी, टायर–टूयूब आदि पर हुये व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
4. यात्रा के दोरान सुदूर स्थानों में भी वाहन ले जाया जा सकता है, और वाहन के ड्राईवर को उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
5. वाहन सेल्फ स्टार्ट हो, वाहन के साथ फर्स्ट एड बॉक्स टूल किट,नेप्किन्स, मोबाईल चार्जर रखना अनिवार्य होगा। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो, तथा टायर–ट्यूब अच्छी स्थिति में हों, वाहन का माईलो मीटर हमेशा चालू हालत में रहना चाहिये । मासिक दर आधार पर प्रदत्त वाहन को प्रतिमाह एक दिवस सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जायेगी की वाहन प्रदायकर्ता उस दिवस अन्य वाहन उपलब्ध कराएगा।
6. वाहन ड्राईवर के पास कम से कम 3 वर्ष पुराना वैघ ड्राईविग लायसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक के पास मोबाईल सुविधा भी अनिवार्य रूप से हो।
7. वाहन प्रदाता के ड्राईवर को वाहन की बीमा रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन पूर्णरूप टेक्स पेड हो। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त हर्जा खर्चा वहन करेगा।
8. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैघानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

9. उपयोग के दौरान रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में सामान्यतः दो घण्टे में वाहन सुधार कराकर उपयोग हेतु उपलब्ध कराना होगा। दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नही दिया जावेगा। वाहन खराब हाने के स्थान से गैरिज तक लाने का दायित्व भी वाहन प्रदाता का होगा।
10. वाहन प्रदाता को जन अभियान परिषद् की मॉग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मॉग अनुसार वाहन उपलब्ध नही कराने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति राशि में से रूपये एक हजार प्रति दिवस अर्थदण्ड के रूप में काटा जाएगा। तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा ओर प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. माईलो मीटर की खराबी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही देय मान्य किया जावेगा।
13. वाहन के स्थानीय अथवा मुख्यालय से वाहन उपयोग की स्थिति में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नही होगा।
14. निविदा जमा करते समय **"धरोहर राशि 30,000/– का बैंक ड्राफ्ट, कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद् भोपाल"** के नाम से निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नही की जावेगा।
15. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए ।
16. निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कार्यपालक निदेशक, म. प्र. जन अभियान परिषद् भोपाल का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
17. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं व्यय करेगा।
18. वाहन अनुबंध किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कार्यपालक निदेशक, म. प्र. जन अभियान परिषद् भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
19. वाहन आवश्यकता/मॉग अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जायेगें तथ वाहनों की आवश्यकता/मॉग अनुसार वार्षिक/मासिक/दैनिक किराये पर लिये जा सकेंगे। वाहन आवश्यकतानुसार जिले से बाहर भी प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सकेगा।
20. मासिक आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहन को न्यूनतम 1000 किलोमीटर प्रतिमाह और 12 घंटे प्रति दिवस हेतु लिया जायेगा। मासिक आधार पर लिये गये माह में सभी दिन कार्य करेंगे, वाहन का उपयोग अधिक किये जाने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर/प्रति घंटा की दर का भुगतान निर्धारित दर अनुसार किया जायेगा। इसके लिये प्रति किलोमीटर/प्रति घंटा दर का उल्लेख पृथक से किया जाए। मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वाहन प्रदायकर्ता पृथक दरें देवें।

21. निविदा द्वारा मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू रहेंगी तथा सेवायें संतोषप्रद होने की स्थिति में अनुबंध एक साल के लिये और बढाया जा सकेगा।
22. वाहन को मुख्यालय से बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टेक्स/पार्किग का भुगतान किया जाता है तो वह वाहन प्रदायकर्ता को ही वहन करना होगा।
23. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक पर म.प्र. शासन के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जावेगी।
24. फर्म द्वारा यदि अन्य किसी विभागों में पूर्व में कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख किया जावे।
25. लिफाफा–एक की पूर्ति नही करने वाली फर्म की दर संबंधी लिफाफा–दो व तीन मान्य नही किया जायेगा। उसे बिना खोले की वापिस कर दिया जावेगा।
26. यदि संस्था सेवाकर संस्था की दरों में सेवाकर सम्मिलित नही है, तो शासन को जमा किये गये कर के चालान की छायाप्रति म.प्र. जन अभियान परिषद् को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
27. **भरे हुये निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः–**

अ. पहले लिफाफे में निविदा प्रस्ताव के साथ धरोहर राशि 30,000 रू बैंक/डिमांड ड्राफ्ट जो स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद् भोपाल के पक्ष में देय हो।

ब. दूसरे लिफाफे में वांछित निविदा प्रस्तााव नीचे लिखे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जावे।

27.1 सस्था के पंजीयन की वैध प्रति।
27.2 वाहनों के मॉडल, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं टैक्सी कोटा में पंजीयन की वैध प्रति।
27.3 वाहन के कम्प्रेहेन्सिव बीमा पत्र की वैध प्रति।
27.4 वाहन के रोड टैक्स चुकता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
27.5 विभिन्न मॉडल के टैक्सी कोटा में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन एवं संख्या की जानकारी।

स. तीसरे लिफाफे में प्रपत्र–2 (अ) एवं प्रपत्र–2 (ब) वाहन प्रदाय की दरें एवं अनुबंध की शर्ते स्वीकार होने की सहमति के साथ सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किये जावें।

द. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर किए जावेगे।

28. निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने से 10 दिवस के अन्दर अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

13/6/14

कार्यपालक निदेशक
म.प्र. जन अभियान परिषद्

प्रपत्र .2 (अ)

प्रतिदिन के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.)वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित

	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	स्कार्पियों टाप माडल	बुलेरों टाप माडल	टवेरा टाप माडल	सफारी टाप माडल	इनोवा टाप माडल	इंडिगो टाप माडल
1	12 घंटे 100 किमी प्रतिदिन नॉन ए.सी.								
2	12 घंटे 100 किमी प्रतिदिन ए.सी.								
3	मुख्यालय से बाहर प्रतिदिन 250 किमी की दर नॉन ए. सी.								
4	मुख्यालय से बाहर प्रतिदिन 250 किमी की दर ए.सी.								
5	अतिरिक्त प्रति किमी की दर ए.सी								
6	अतिरिक्त प्रति किमी की दंर नॉन ए.सी								

नोट – उपरोक्त दरो में सेवाकर सम्मिलित है /नहीं है, ☑ चिन्ह लगाये।

प्रपत्र .2 (ब)

मासिक आधार से 12 घंटे के मान से (ए.सी. / नॉन ए.सी.)वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित

क्र	विवरण	इंडिका	इडिका विस्टा	स्कार्पियों टाप माडल	बुलेरों टाप माडल	टवेरा टाप माडल	सफारी टाप माडल	इनोवा टाप माडल	इंडिगो टाप माडल
1	1000 किमी प्रतिमाह तक के लिए 12 घंटे प्रति दिवस नॉन ए.सी								
2	1001 किमी प्रतिमाह तक के लिए 12 घंटे प्रति दिवस ए.सी								
3	अतिरिक्त प्रति किमी की दर (1000 किमी के बाद) नॉन ए.सी.								
4	अतिरिक्त प्रति किमी की दर (1000 किमी के बाद) ए.सी.								
5	मुख्यालय से बाहर अतिरिक्त प्रति किमी की दर ए.सी								
6	मुख्यालय से बाहर अतिरिक्त प्रति किमी की दर नॉन ए.सी								
7	रात्रि विश्राम दर								

नोट – उपरोक्त दरो में सेवाकर सम्मिलित है / नहीं है, ☑ चिन्ह लगाये।